रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012026-269366
CG-DL-E-15012026-269366

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947
No. 32] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

सं. 03/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 32(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के धारा 75 और केंद्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 (1944 का 11) के धारा 37 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद ड्रॉबैक नियमावली, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त, शीर्षक और प्रारंभ -

1. (1) इन नियमों को सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक (संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिनांक 15.01.2026 को लागू होंगे।

2. सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ड्रॉबैक नियम, 2017 में, -

(क) नियम 8 में, "निर्यात बिल या शिपिंग बिल" शब्दों के पश्चात, शब्द और आंकड़े "या डाक द्वारा निर्यात के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के तहत की गई प्रविष्टि" जोड़े जाएंगे;

(ख) नियम 12 के शीर्षक में, "डाक द्वारा" शब्दों के पश्चात, "जहां सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के अंतर्गत कोई प्रविष्टि मैन्युअल रूप से की जाती है" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;

(ग) नियम 13 में,-

(i) शीर्षक में, "डाक द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "नियम 12 के तहत निर्यात" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) में,-

(क) "के अलावा" शब्दों के बाद, "नियम 12 के तहत आने वाले" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, "निर्यात बिल" शब्दों के बाद, जहां भी वे आते हैं, शब्द और आंकड़े "या डाक द्वारा निर्यात के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के तहत की गई प्रविष्टि" डाले जाएंगे;

(iii) उप-नियम (2) में "निर्यात बिल" शब्दों के पश्चात "या डाक द्वारा निर्यात के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 84 के अंतर्गत की गई प्रविष्टि" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;

(घ) नियम 14 में,-

(i) शीर्षक में, "डाक द्वारा" शब्दों की जगह "नियम 12 के तहत निर्यात" शब्द और आंकडे प्रतिस्थापित किए जाएगें;

(ii) उपनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"(1क) ड्रॉबैक के दावे के तहत डाक से निर्यात के लिए धारा 84 के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की गई प्रविष्टि उस तारीख को दायर की गई ड्रॉबैक के लिए दावा माना जाएगा, जिस तारीख को सीमा शुल्क के उपयुक्त अधिकारी द्वारा उस धारा के तहत निर्यात के लिए माल की निकासी और लोडिंग की अनुमति देने के आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज पर उक्त प्रविष्टि प्राप्त होती है और ड्रॉबैक के लिए उक्त दावे को ऐसे आदेश देने वाले उपयुक्त अधिकारी द्वारा बरकरार रखा जाएगा।"

[फा. सं. 609/75/2017-ड्रॉबैक (भाग-I)]

ओम प्रकाश मीना, अवर सचिव

नोट : मुख्य नियमों का प्रकाशन अधिसूचना संख्या 88/2017-सीमाशुल्क (एनटी), दिनांक 21 सितंबर, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप- खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1177 (अ), तारीख 21 सितंबर, 2017 के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

No. 03/2026-Customs (N.T.)

G.S.R.. 32(E).—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962(52 of 1962) and section 37 of the Central Excise Act, 1944 (11 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, namely: -

1. Short, title and commencement. -

1. (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 15th day of January, 2026.

2. In the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, -

(a) in rule 8, after the words "bill of export or shipping bill", the words and figures "or entry made under section 84 of the Customs Act, 1962, for exports by post" shall be inserted;

(b) in the heading of rule 12, after the words "by post", the words and figures, "where an entry is made manually under section 84 of the Customs Act, 1962 " shall be inserted;

(c) in rule 13, -

(i) in the heading, for the words "by post", the words "exports under rule 12" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1),-

(A) after the words "other than", the words and figures "those covered under rule 12" shall be inserted;

(B) in clause (a), after the words "bill of export", at both places where they occur, the words and figures "or entry made under section 84 of the Customs Act, 1962, for exports by post" shall be inserted;

(iii) in sub-rule (2), after the words "bill of export", the words and figures "or entry made under section 84 of the Customs Act, 1962, for exports by post" shall be inserted;

(d) in rule 14,-

(i) in the heading, for the words "by post", the words and figures "exports under rule 12" shall be substituted;

(ii) after the sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) The entry made electronically under section 84 for exports by post under the claim of drawback shall be deemed to be a claim for drawback filed on the date on which the said entry is received on Electronic Data Interchange after the proper officer of Customs makes an order permitting clearance and loading of goods for exportation under that section and said claim for drawback shall be retained by the proper officer making such order".

[F. No. 609/75/2017-DBK (Pt-I)]

OM PRAKASH MEENA, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification No. 88/2017-Cus. (N.T.), dated the 21st September, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 1177(E), dated the 21st September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA